PROTOCOL OFFICER

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1217—1220

Dated 4-8-2012

1217

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 189.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, (न्याचार अधिकारी) भर्ती नियम, 1996[1] का उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में न्याचार अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, न्याचार अधिकारी भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
न्याचार अधिकारी	1*(2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', (राजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन-बैंड-2, ₹ 9300—34800+ग्रेड वेतन ₹ 4600	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[1]भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3(i), दिनांक 20 अप्रैल, 1996/चैत्र 31, 1918 (पृष्ठ 813-816) में प्रकाशित सा.का.नि. 176

12/9/12
17/9/12

1218

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन :** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या (ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड-2 : ₹ 9300—34800 और ग्रेड वेतन ₹ 4200 या समतुल्य में नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में पांच वर्ष सेवा कर चुके हो (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ; (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य ; (ii) न्याचार या जनसंपर्क कार्य या दोनों में दो वर्ष का अनुभव । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी) । **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है) 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाए इसके जब एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संव लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-35014/12/2010-प्रशा.-V]

अरविन्द मुखर्जी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2012

G.S.R. 189.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs (Protocol Officer) Recruitment Rules, 1996[1] except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Protocol Officer in the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, (Protocol Officer) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, Classification and the Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.—The number of the said post, classification and the Pay Band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No persons,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Protocol Officer	1*(2012). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', (Gazetted.) Non-Ministerial	Pay Band-2, ₹ 9300—34800 plus Grade Pay of ₹ 4600	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

[1] G.S.R. 176 published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i) dated April 20, 1996/Chaitra 31, 1918) (page 813-816)

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By deputation/absorption	**Deputation/Absorption:** Officers under the Central/State Government:— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay or Pay Band-2 (₹ 9300—34800) with the Grade Pay of ₹ 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience:— (i) Degree of a recognised University or equivalent, (ii) Two years' experience of protocol or public relation work or both. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) transfer shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.) **Note:** For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation/absorption basis.

[F. No. A-35014/12/2010-Ad.-V]

ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.

MGIPRRND—3191 HA/12—100 Copies.

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ) 197

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, दिनांक: 18-10-2012

सा.का.नि.   (अ) - भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 4 अगस्त, 2012 को पृष्ठ 1218 पर दिनांक 31 जुलाई, 2012 के सा.का.नि.सं. 189 के तहत प्रकाशित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना के हिन्दी पाठ में:-

20वीं पंक्ति में "या समतुल्य" का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. 35014/12/2010-प्रशा.V]

अ० मुखर्जी
(अरविन्द मुखर्जी)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली।

सं. ए-35014/12/2010-प्रशा.V

प्रति प्रेषित:

1. सचिव संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली को उनके दिनांक 19 सितम्बर, 2012 के पत्र सं. एफ.3/10(11)/2012-आर आर के संदर्भ में।
2. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली (दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ)
3. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली (दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ)
4. विधायी विभाग (जी एस आर ओ अनुभाग), विधि मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियों के साथ)
5. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, अवर सचिव (आर आर), नई दिल्ली (दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ)
6. संयुक्त सचिव (प्रशासन)/सी एस ओ, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
7. पच्चीस (25) अतिरिक्त प्रतियां

19 OCT 2012

R&I Section
I. Issue

195

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Home Affairs

Corrigendum

New Delhi, the 18-10-2012

G.S.R. (E).-- In the English version of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, published vide number G.S.R. 189, dated 31st July, 2012 in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 4th August, 2012, at page 1220, -

(i) in line 10, for *"or"*, read *"of"*,

(ii) in line 15, omit *"or equivalent"*.

[F No.35014/12/2010-Ad.V]

(Arvind Mukherjee)
Under Secretary to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
New Delhi.

No.A-35014/12/2010-Ad.V

Copy To:-

1. The Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road New Delhi- w.r.t their letter No.F.3/10(11)/2012-RR dated 19th September, 2012.
2. Lok Sabha Secretariat, New Delhi (with two spare copies).
3. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi (with two spare copies).
4. The Legislative Department (GSRO Section), Ministry of Law, Shastri Bhawan, New Delhi (with ten spare copies).
5. The Department of Personnel & Training, US (RR), New Delhi (with two spare copies).
6. JS (Administration) / CSO, Ministry of Home Affairs, New Delhi.
7. Twenty five (25) spare copies.

18/10/12

ISSUED
18 OCT 2012